जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
93/2016

मुन्तकिली प्रकरण सं0 93/2016 अनवानी 1–रामलाल पुत्र शेराराम 2–पृथ्वीराज पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–प्रदीप नेहरा पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी फतूही तह0 गंगानगर 2–तहसीलदार श्रीगंगानगर 3–सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.12.2016

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी प्रदीप नेहरा के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। प्रार्थीगण व उनके अभिभाषक विमला रानी को बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आये। अप्रार्थी प्रदीप नेहरा के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी प्रदीप नेहरा के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण व उसके अभिभाषक को बार बार आवाज लगाने पर वे उपस्थित नही आ रहे है जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में लंबित वाद के निस्तारण में विलम्ब करने की दृष्टि से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए इसे अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में लंबित दावा संख्या 271/13 अनवानी प्रदीप नेहरा बनाम राम लाल आदि मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए प्रस्तुत किया है। **प्रार्थीगण व उनके अभिभाषक विमलारानी को बार बार आवाज लगाने पर उपस्थित नही आये।** जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को अपने प्रा0 पत्र में कोई दिलचस्पी नही है केवलमात्र **अधिनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की दृष्टि से ही यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।** इसलिए प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2308
28-12-16

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर